

## विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समाचार भाग—2

(विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित जानकारी) मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024/02 आश्विन, 1946 (शक्)

संख्या : 152

विषयः श्री करतार सिंह तंवर, माननीय सदस्य की निरर्हता।

माननीय सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष ने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(ए) के साथ पिठत भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(2), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 की धारा 16 और दिल्ली विधान सभा सदस्य (दल—परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1996 के नियम 8 के अंतर्गत श्री करतार सिंह तंवर (जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र—46 (छत्तरपुर) से चुने गए थे) को 10 जुलाई, 2024 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य होने से अयोग्य ठहराया है।

जिसके परिणाम स्वरूप, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र—46 (छत्तरपुर) की सीट खाली हो गई है और सदन में एक सीट रिक्त हो गई है।

> रंजीत सिंह सचिव



## LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI OLD SECRETARIAT, DELHI 110054

## **BULLETIN PART-II**

(General information relating to Legislative and other Matters) Tuesday, 24 September, 2024/Ashwin 02, 1946 (Shaka)

No. 152

## Sub: Disqualification of Shri Kartar Singh Tanwar, Hon'ble Member.

Hon'ble Members are hereby informed that the Hon'ble Speaker under Para 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India read with Article 191(2) of the Constitution of India, Section 16 of Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and Rule 8 of The Members of Delhi Legislative Assembly (Disqualification on Grounds of Defection) Rules, 1996 has disqualified Shri Kartar Singh Tanwar [who had been elected from Assembly Constituency – 46 (Chhatarpur)] from being a Member of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi with effect from 10th July, 2024.

Consequent upon this, the seat of Assembly Constituency – 46 (Chhatarpur) has fallen vacant and a vacancy has occurred in the House.

Ranjeet Singh Secretary